Districts	Number on live Register (In Thousands)
14. Gwalior	67.1
15. Guna	21.0
16. Hoshangabad	41.6
17. Indore	75.6
18. Jabalpur	135.0
19. Bastar	46.1
20. Jhabua	17.4
21. Khandwa	30.3
22. Mandla	45.4
23. Mandsaur	27.7
24. Narshimpur	18.8
25. Panna	15.4
26. Raipur	114.3
27. Rajnandgaon	54.9
28. Rajgarh	46.5
29. Rewa	65.7
30. Raisen	18.0
31. Rajgarh	17.3
32. Ratlam	19.4
33. Seoni	33.6
34. Shahdol	36.5
35. Ratlam Sidhi	30.9
36. Saina	39.9
37. Sagar	47.5
38. Sehore	17.4
39. Shivpuri	17.8
40. Shajapur	19.1
41. Tikamgarh	23.9
42. Vidisha	20.9
43. Khargaon	58.9
44. Ujjain	42.7
45. Morena	46.5
TOTAL :	2045 3

NOTE :—1. All the job-seekers on the live register are not necessarily unemployed.

2. Figures may not add up to total due to rounding off.

श्रम कानूनों के अन्तर्गत विद्युतकरघा एककों का लाया जाना

1849. **श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युतकरघा एककों की ओर से कामगारों के हितों की रक्षा के लिये देश में विद्युतकर्घा एककों को श्रम कानूनों एवं कारखाना अधिनियम के दायरे में लाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को सम्पूर्ण देश में विद्युतकरघा इकाईयों में नियोजित कर्मकारों पर श्रम तथा कारखाना कानूनों की अनुपयोज्यता से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

10 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाली विद्युतकर्घा इकाईयां कारखाना अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित "कारखाना" शब्द की परिभाषा के अधीन स्वतः ही आ जाती हैं। 10 से कम कर्मकारों को नियोजित करनेवाली इकाईयों को भी संबंधीत राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके कारखाना अधिनियम के अधीन शामिल कर सकती है। नीति के रूप में सभी जोखिमकारी कारखाने, बिना इस बात पर विचार किये कि उसमें कितने कर्मकार नियोजित हैं, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत शामिल है। कुछराज्य सरकारों जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ने कारखाना अधिनियम के अधीन विद्युतकरघा क्षेत्र को "कारखानों" के रूप में अधिसूचित किया है। 10 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली तथा अधिसूचित क्षेत्रों में अवस्थित विद्युतकरघा इकाईयां भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन शामिल किए जाने योग्य हैं। इसी प्रकार 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले विद्युतकरघे भी कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अधीन शामिल करने योग्य हैं। अनेक राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित की हैं।

राज्य सरकारों से क्षेत्रों में कार्यरत कर्मकारों की समुचित कार्यदशायें तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए श्रम विनियमनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

Withdrawal of Incentives for Employing *Child Labour*

1850. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government are considering withdrawal of incentives to industries employing child labour in contravention of the existing laws;

(b) if so, whether Government also propose to extend the concept of the National Labour Project to child labour in hazardous industries;

(c) if so, the salient features of the steps being taken by Government in this respect and which are the industries involved in the use of child labour; and

(d) what other infrastructure is being created to develop parents' vocational skills so that they could have additional income as part of the child labour elimination?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Eleven Central Ministers were requested, on 24th November, 1994, to have the various occupations and processes in industries, including the handicraft sector, coming under their administrative control, reviewed with a view to withdrawing concessions extended to those industries which are found to be employing child labour in contravention of existing laws. In addition where concessions are proposed to be extended to any section of industry they were also requested to ascertain before hand that child labour will not be employed in contravention of existing laws.

(b) and (c) The National Child Labour Projects are already focussed on children engaged in hazardous occupations and processes. At present the National Child Labour Projects cover the carpet, glass and brassware industries in U.P., the carpet industries in Bihar, the beedi rolling industry in Orissa, the slate and pencil industry in Madhya Pradesh, the slate and tile industries in Andhra Pradesh, the match and fireworks industry in Tamil Nadu and the chemical industry in Maharashtra. Through these projects children are brought out of the world of work and diverted to special schools where they are given primary level education to enable them to join regular schools from the VI class onwards. These children also are given stipendary, nutritional and health inputs.

(d) It is proposed to raise the income levels of parents of children who are being brought out of hazardous occupations through other schemes of the Government. These, inter alia, include schemes like IRDP, Employment Assurance Scheme and JRY. In order to ensure proper convergence of schemes of the various Ministries/Departments of the Government of India to effectively implement the programme to eliminate child labour in hazardous occupations, the National Authority for the Elimination of Child Labour has already been created. Copy of the resolution is given at Statement.

Statement

(To be published in the Gazette of India, Part I Section II)

No. Z-19011/5/94-CL

Govt. of India

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, dated 26-9-94

RESOLUTION

Keeping in view the provisions as laid down in the Constitution of India with regard to prohibition of employment of children in hazardous employments, the ILO Standards concerning employment of child labour and the need for systematic action to progressively eliminate child labour altogether, the Government of India has decided to constitute a National Authority for Elimination of Child Labour. Pending creation of an autonomous statutory body for the purpose, it has been decided to constitute the Authority as under:—

1.	Minister of State for Labour	: Chairman
2.	Secretary, Ministry of Labour	: Member
3.	Secretary, Expenditure, Ministry of Finance	: Member
4.	Secretary, Department of Women & Child Development, Ministry of Human Resource Development.	Member
5.	Secretary, Department of Education, Ministry of Human Resource Development.	: Member
6.	Secretary, Ministry of Textiles	: Member
7.	Secretary, Ministry of Welfare	: Member
8.	Secretary, Ministry of Rural Development	: Member
9.	Secretary, Department of Health, Ministry of Health	: Member
10.	Secretary, Department of Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare	: Member
11.	Secretary, Ministry of A & B	: Member
12.	Director Incharge of Child Labour, Ministry of Labour	: Member-Secretary

The functions of the National Authority for Elimination of Child Labour will be:—

(i) to lay down the policies and programme for elimination of child labour particularly in hazardous employments.

(ii) to monitor the progress of implementation of programmes, project and schemes for elimination of child labour.

(iii) to co-ordinate implementation of child labour elimination related projects of the various sister Ministries of the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Members. Ordered also that the Resolution be publish-

ed in the Gazette of India for general information.

Sd/- S. Gopalan,
Secretary to Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
New Delhi.

संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए मजदूरी

1851. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे विभिन्न श्रेणियों के संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मजदूरी की दर में पिछली बार किस तिथि को संशोधन किया गया था;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु राज्यों को निर्धारित मानदण्ड सुझाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में कर्मकारों की मजदूरी द्विपक्षीय मजदूरी वार्ताओं तथा समझौतों के माध्यम से निर्धारित की जाती है । गैर-संगठित क्षेत्रों में, कर्मकारों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित/संशोधित की जाती है । अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार तथा साथ ही साथ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधन करने हेतु समुचित सरकार हैं । विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अकुशल श्रेणी के कर्मकारों से संबंधित न्यूनतम मजदुरी दरें दर्शाने वाला विवरण **(नीचे देखिए)** संलग्न है ।

(ग) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन हेतु भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 1957 में आयोजित सत्र में अनुशंसित पांच मानदंडों को अपनाया जाता है । ये मानदण्ड इस प्रकार है : किसी एक मजदूरी उपार्जक के लिए तीन उपभोग-इकाईयां, किसी एक औसत भारतीय वयस्क के लिए 2700 कैलोरी की न्यूनतम खाद्य आवश्यकताएं, प्रति परिवार प्रतिवर्ष 72 गज कपड़े की आवश्यकता, आर्थिक सहायता प्राप्त सरकारी औद्योगिक आवासीय योजना के सदृश किराया तथा ईंधन पर व्यय, बिजली एवं अन्य विविध मदों पर व्यय । न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करते समय समुचित सरकारे स्थानीय परिस्थितियों और अन्य कारकों को भी ध्यान में रखती हैं ।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों में संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें

क्र० सं०	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नाम	न्यूनतम मजदूरी दरें तथा संशोधन की तारीख	अभ्युक्ति
1		2	3
I	**राज्य**		
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.00 रु० से 40.00 रु० प्र० दि०* (11-10-94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न है ।
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.00 रु० से 21.00 रु० प्र० दि० (1-11-90)	रोजगार दर रोजगार तथा क्षेत्र दर क्षेत्र मजदूरी भिन्न है ।
3.	असम	25.30 रु० से 32.00 रु० प्र० दि०* (10-2-92)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न है ।
4.	बिहार	21.00 रु० से 34.00 रु० प्र० दि० (19-7-93)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं ।
5.	गोवा	14.00 रु० से 27.00 रु० प्र० दि० (7-2-92)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं ।
6.	गुजरात	15.00 रु० से 37.50 रु० प्र० दि०* (1-4-94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं । (क्षेत्रानुसार)